



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/5/2025-ADMN

कार्यालय आदेश सं. : 18/2025

दिनांक: 12.08.2025

इस कार्यालय द्वारा जारी स्थापना आदेश संख्या 34/2025 (DGHRD/ADC-JC/143/2025) दिनांक 30.07.2025 की निरंतरता में, श्री आशुतोष, अपर आयुक्त, अपील्स, जयपुर को केवल वेतन एवं अन्य भत्तों के आहरण हेतु, आगामी आदेशों तक, अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर से सम्बद्ध किया जाता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. आयुक्त, अंकेक्षण, जोधपुर/ अपील्स, जयपुर।
2. अपर महानिदेशक (एचआरएम-II), मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (Ad.II), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. श्री आशुतोष, अपर आयुक्त, अपील्स, जयपुर।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर : @CGSTJAIPURZONE